संख्या-79/2016/562/22-2-2016-17(158)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 जुलाई, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्व बन्दी श्याम सुन्दर पुत्र श्री इन्दल निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10062/पर-3(एम-31-03-2016) दिनांक-31-03-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी श्याम सुन्दर पुत्र श्री इन्दल, निवासी ग्राम-रानीखेडा, मजरा-भदौरी, थाना-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी का अपने बडे भाई राम सनेही से सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 26-01-1981 को प्रात: लगभग 09:00 बजे कुल्हाडी से मारकर श्रीमती योगवती की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-119/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा दिनांक 31-03-1982 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13-08-2015 तक 23 वर्ष 06 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 30 वर्ष 11 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने बन्दी के अपराध से समाज पर व्यापक प्रभाव पडने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, गम्भीर प्रकृति के अपराध के कारण जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने ऐसे अपराधियों की समयपूर्व रिहाई का समाज में न्यायिक प्रणाली के वारे में विपरीत संदेश जाने तथा एक महिला के प्रति किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी श्याम सुन्दर पुत्र श्री इन्दल निवासी जनपद-लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी श्याम सुन्दर (बन्दी संख्या-357/08) पुत्र श्री इन्दल निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-79/2016/562(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखनऊ ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-79/2016/562@22-2-2015-17(158)/2013
दिनांक 04 जुलाई, 2016 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बन्दी श्याम सुन्दर (बन्दी संख्या-357/08) पुत्र श्री इन्दल, ग्राम-रानीखेडा, मजरा-भदौरी, थाना-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी का अपने बडे भाई राम सनेही से सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। इसी कारण बन्दी ने दिनांक 26-01-1981 को प्रात: लगभग 09:00 बजे कुल्हाडी से मारकर श्रीमती योगवती की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-119/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा दिनांक 31-03-1982 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13-08-2015 तक 23 वर्ष 06 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 30 वर्ष 11 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने बन्दी के अपराध से समाज पर व्यापक प्रभाव पडने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, गम्भीर प्रकृति के अपराध के कारण जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने ऐसे अपराधियों की समयपूर्व रिहाई का समाज में न्यायिक प्रणाली के वारे में विपरीत संदेश जाने तथा एक महिला के प्रति किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी श्याम सुन्दर पुत्र श्री इन्दल निवासी जनपद-लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।